

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
शाखा कार्यालय, एच-21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।**

पत्रांक: 1189 / वाद संख्या सी-0250 / 2022

दिनांक 22/07/2023

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

बनाम

श्री नितिन गुप्ता/श्री नरेन्द्र गुलेरिया/कल्पना,
निर्मल बाग विस्थापित,
ऋषिकेश, जिला देहरादून।

विपक्षी द्वारा प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना निर्मल बाग विस्थापित, ऋषिकेश, जिला देहरादून में स्थल पर लगभग 80 फिट गुणा 34 फिट में आरओसीओसीकॉलम की सहायता से पलैट हेतु निर्माण करने पर प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) यथासंशोधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या-सी-0250/2022 योजित करते हुए कमशः निर्माण कार्य रोकें एवं कारण बताओ नोटिस दिनांक 31-03-2022 को निर्गत करते हुये पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26-04-2022 की तिथि नियत की गयी थी। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित हुए और प्रार्थना पत्र देते हुए शमन मानचित्र जमा कराने हेतु समय मांगा गया। विपक्षी के अनुरोध प्रार्थना पत्र पर विपक्षी को 02 सप्ताह का समय प्रदान करते हुए सुनवाई हेतु आगामी तिथि 10-05-2022 नियत की गयी। नियत तिथि को विपक्षी उपस्थित हुए और प्रार्थना पत्र देते हुए दस्तावेज जमा कराने हेतु समय मांगा गया। तत्पश्चात भी सुनवाई हेतु मिन-मिन तिथियाँ नियत की गयीं लेकिन विपक्षी द्वारा कोई दस्तावेज/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये। विपक्षी को कार्यालय पत्रांक-1190 दिनांक 15-11-2022 को सील/ध्वस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। तत्पश्चात विपक्षी को कार्यालय पत्रांक-1146 दिनांक 18-07-2023 के द्वारा सीलबन्द हेतु कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सुनवाई हेतु दिनांक 21-07-2023 नियत की गयी थी। सुनवाई में विपक्षी उपस्थित हुए और प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे द्वारा स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। यदि भविष्य प्रार्थी निर्माण कार्य करेगा तो प्राधिकरण के द्वारा मानचित्र स्वीकृत करवाकर ही निर्माण करेगा। तब तक निर्माण कार्य बन्द रहेगा। स्थल निरीक्षण कराने पर पाया गया कि विपक्षी द्वारा स्थल पर किये जा रहे निर्माण कार्य को कई बार रूकवाने के बाद भी विपक्षी द्वारा लगातार चोरी-छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थल पर पुनः निर्माण कार्य रूकवा दिया गया है। वर्तमान में विपक्षी द्वारा स्थल पर भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, चतुर्थ तल पर भवन के आन्तरिक फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा है जिसको मौके पर तत्काल प्रभाव से रूकवा दिया गया है। विपक्षी द्वारा प्रश्नगत निर्माण से सम्बन्धित कोई साक्ष्य/स्वीकृति आतिथि तक प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत निर्माण कार्य यथावत रोकने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है।

-आदेश-

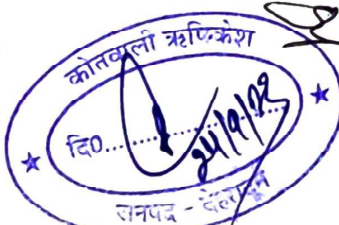
श्री नितिन गुप्ता/श्री नरेन्द्र गुलेरिया/कल्पना निर्मल बाग विस्थापित, ऋषिकेश, जिला देहरादून में बिना प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये गये/किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को यथावत रोकें जाने हेतु सीलबन्द किया जाना आवश्यक है। वर्णित परिस्थिति में मौके पर किये गये उपरोक्त वर्णित समस्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित अधिनियम की धारा-28-1 (क) के अधीन सीलबन्द के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण दिनांक 25/7/2023 को ही पूर्वाह्न 11.00 बजे से 05.00 बजे के मध्य सील किया जाए।

अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित कराये। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एकतरफा सम्पादित हो। विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होंने दें, क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है, जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाए।


उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।

प्रतिनिधि:-

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को सील की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ की उक्त नियत तिथि को प्राधिकरण वाहन, चालक सहित एवं सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मय सील सामग्री स्टील की तार सहित उक्त दिनांक को पूर्वाह्न 11.00 बजे शाखा कार्यालय ऋषिकेश में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, शाखा कार्यालय, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि सील कार्यवाही नियत तिथि पर कराना सुनिश्चित करें।




उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट,
ऋषिकेश।